न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 47/2018 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी :– 1. नानगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट के का.मु.
1/1 भैराराम पुत्र नानगाराम जाति जाट निवासी
नेहरो का तला तहसील सेडवा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. गंगाराम पुत्र अर्जुन
2. बाला पुत्र अर्जुन
3. रूगनाथ पुत्र अर्जुन
4. हीरा पुत्र अर्जुन जातियान जाट
निवासी नेहरों का तला तहसील सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक 12.01.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक सदभाविक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा नेहरों का तला पटवार हल्का सेडवा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेडवा तहसील सेड़वा के खसरा स. 421/308 रकबा 08.08 बीघा व खसरा संख्या 488/308 रकबा 03.01 बीघा का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु झोपियों, टांके व मवेशियों के बाडे आदि बने हुए है। प्रार्थी के दोनों खेत दूर–दूर आये है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खेत खसरा संख्या 419/308 रकबा 15.08 बीघा मौजा नेहरों का तला पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा मे आये हुए है। जिसमे से चल रहे रास्ते से प्रार्थी के दोनों खेतों मे आने जाने का एक मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी की जोत पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है एव काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगडा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। जिस हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अत: उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेडवा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट समस्त पक्षकारों को निरीक्षक कार्यालय से नोटिस कमांक 243 से 246 दिनांक 24.08.2022 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामिली विधिवत रूप से करवायी गयी। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौडाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मोजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4 बाला पुत्र अर्जुन हि0 1/4 रूगनाथ पुत्र अर्जुन हि0 1/4 हीरा पुत्र अर्जुन हि0 1/4 कौम जाट सा0 सह खातेदार रहन: गंगा का हि0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि. बालोतरा में व रूगनाथ का हि0 SBBJ शाखा सेड़वा	419/308	2.4929 हैक्ट	20	0.0324 हैक्ट	नेहरों का तला	9420/-	बारानी सोयम

वादीगण के ग्राम नेहरों का तला के खसरा संख्या 421/308 रकबा 1.3597 हैक्टयर व खसरा संख्या 488/308 रकबा 0.4937 हेक्टयर खातेदारी भूमि है। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरान संख्या 421/308 से खसरा संख्या 488/308 तक आने–जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में कीमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं है। वादीगण की खातेदारी भूमि के खसरा संख्या

(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

421/308 से खसरा संख्या 488/308 तक आने-जाने के लिए खसरा संख्या 419/308 में से सलंग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ता बरंग गुलाबी दर्शाया गया है उसके अनुसार वादीगण को रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानो को पढ़कर सुनाई गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन समझ कर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किये।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजो एव मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट में	रास्ते की चौडाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गंगा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/4 बाला पुत्र अर्जुन हि0 1/4 रूगनाथ पुत्र अर्जुन हि0 1/4 हीरा पुत्र अर्जुन हि0 1/4 कौम जाट सा0 सह खातेदार रहनः गंगा का हि0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि बालोतरा मे व रूगनाथ का हि0 SBBJ शाखा सेडवा	419/308	2.4929 हैक्ट.	20	0.0324 हैक्ट.	नेहरो का तला	9420/–	बारानी सोयम

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

और अन्य कोई पेड फसल या सरचना प्रस्तावित रास्ते मे हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यातिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस गुलाबी रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान मे से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी –

1. तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे सलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस मे दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय मे प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें मे समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेडवा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में 'रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 12.01.2023 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:21:44 IST
Reason: SelfAttested